

SC ने रैखिक परियोजनाओं हेतु अनयिमति मृदा नषिकर्षण में परिवर्तन किया

प्रलिस के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय ने रेखीय परियोजनाओं के लयि अनयिमति मृदा नषिकर्षण को परिवर्तति कर दया, [सर्वोच्च न्यायालय](#), [पर्यावरण स्वीकृति \(EC\)](#), [राष्ट्रीय हरति न्यायाधकिरण \(NGT\)](#).

मेन्स के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय ने रैखिक परियोजनाओं हेतु अनयिमति मृदा नषिकर्षण, EPA की वशिषताओं, पर्यावरण संरक्षण अधनियम, 1986 में परिवर्तन कया ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में, [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने तीन वर्ष पहले जारी पर्यावरण मंत्रालय की एक अधसूचना को परिवर्तति कर दया । इस अधसूचना ने [सडक और रेलवे नरिमाण](#) जैसी रैखिक परियोजनाओं के लयि [साधारण मृदा नषिकर्षण](#) को [पर्यावरणीय स्वीकृति \(EC\)](#) की आवश्यकता से छूट प्रदान की है ।

- मार्च, 2020 में प्रारंभ हुई छूट को [राष्ट्रीय हरति न्यायाधकिरण \(NGT\)](#) में एक चुनौती का सामना करना पडा, जसिने अक्टूबर, 2020 में मंत्रालय को तीन माह के भीतर इसका पुनर्मूल्यांकन करने का नरिदेश दया ।

रैखिक परियोजनाएँ:

- रैखिक परियोजनाएँ बुनयादी ढाँचे के वकिस को संदर्भति करती हैं और एक रैखिक या नरितर पथ का अनुसरण करती हैं, जैसे [सडकें](#), [रेलवे](#), [पाइपलाइन](#), [नहरें](#), [ट्रांसमशिन लाइनें](#) व [राजमार्ग](#) ।
- ये परियोजनाएँ आमतौर पर एक सीधी या घुमावदार रेखा में नरितर क्रयानवति होती हैं, जो वभिन्न बडुओं या स्थानों को जोडती हैं ।

रैखिक परियोजनाओं हेतु वर्ष 2020 की छूट क्या थी?

- **पृष्ठभूमि:**
 - सतिंबर, 2006 में पर्यावरण मंत्रालय ने [पर्यावरण \(संरक्षण\) अधनियम, 1986](#) के तहत एक अधसूचना जारी की, जसिमें पूव [पर्यावरण स्वीकृति \(EC\)](#) की आवश्यकता वाली गतविधियों की रूपरेखा प्रदान की गई ।
 - जनवरी, 2016 में [बाद की अधसूचना](#) ने कुछ परियोजनाओं को आवश्यकतानुसार छूट प्रदान की ।
- **वर्ष 2020 की अधसूचना में प्रदान की गई छूट:**
 - मार्च, 2020 में एक अधसूचना जारी की गई जसिमें [पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता से छूट वाली गतविधियों की सूची](#) को [वसितृत कया गया](#) । इसमें रैखिक परियोजनाओं में उपयोग के लयि साधारण मृदा नषिकर्षण, जसिं सोरसगि भी कहा जाता है, शामिल था ।

वर्ष 2020 में प्रदान की गई छूट को चुनौती कयों दी गई?

- **याचकिाकर्त्ता द्वारा दी गई चुनौती के आधार:**
 - छूट को NGT के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अंधाधुंध मृदा नषिकर्षण की [अनुमति प्रदान करना मनमाना](#) और भारतीय संवधान के [अनुच्छेद-14 का उल्लंघन](#) है ।
 - याचकिाकर्त्ता ने तर्क दया कि छूट ने पट्टों में पूव EC की आवश्यकता का उल्लंघन कया है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय

ने दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले, 2012 में नरिणय दया था।

- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मंत्रालय ने वर्ष 2020 की अधिसूचना जारी करने से पूर्व सार्वजनिक आपत्तियाँ मांगने की कानूनी प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ कर दिया था।
- आलोचकों का तर्क है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 'लोकहति' की आड़ में पर्यावरण सवीकृति (EC) प्रक्रिया में प्रदान की गई छूट ने नज़ी खनन कंपनियों और ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने का एक वकिलप मात्र के रूप में काम किया।
- सरकार का तर्क:
 - NGT के समक्ष केंद्र ने तर्क दिया कि छूट "आम जनता की सहायता के लिये" आवश्यक थी, जिससे गुजरात में कुम्हार किसानों, ग्राम पंचायतों, बंजारा और ओड समुदायों सहित विभिन्न समूहों को लाभ होगा।
 - इसने तर्क दिया कि छूट देना एक नीतित्वात्मक मामला है जो न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं है।
 - 2020 की अधिसूचना का व्यापक उद्देश्य मार्च 2020 में अधिनियमिता खान और खनजि (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के साथ संरेखित करना था।
 - इन संशोधनों ने नए पट्टेदारों को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा प्राप्त वैधानिक मंजूरी और लाइसेंस के साथ दो साल तक खनन जारी रखने की अनुमति दी।
- NGT का फैसला:
 - अक्टूबर 2020 में NGT ने कहा कि मंत्रालय को संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का लक्ष्य रखना चाहिये। पूर्ण छूट के बजाय इसमें उत्खनन प्रक्रिया को वनियमिता करने और मात्रा नरिधारित करने जैसे उपयुक्त सुरक्षा उपाय शामिल किये जाने चाहिये।
 - ट्रिब्यूनल ने केंद्र को तीन महीने के भीतर अधिसूचना की समीक्षा करने का नरिदेश दिया।
 - केंद्र की प्रतिक्रिया:
 - केंद्र ने NGT के आदेश पर कार्रवाई में तब तक देरी की जब तक अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की।
- SC द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ:
 - न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 2020 की व्यापक छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना में स्पष्टता का अभाव है और यह संवधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
 - अधिसूचना में 'रैखिक परियोजनाओं (Linear Projects)' को परभाषित नहीं किया गया या मृदा के नषिकरण की मात्रा और क्षेत्र को नरिदष्ट नहीं किया गया।
 - इसके अतिरिक्त इसने यह सुनिश्चित नहीं किया कि इन परियोजनाओं के लिये केवल आवश्यक मात्रा में मृदा नषिकरण के लिये छूट दी गई, जिससे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य कमजोर हो गया।
 - न्यायालय ने अधिसूचना में NGT या सर्वोच्च न्यायालय को मंत्रालय की प्रस्तुतियों में सार्वजनिक नोटिस की आवश्यकता के लिये कथमा करने का कोई औचित्य नहीं पाया।
 - इसने नरिणय को मनमाना और समझदारीपूर्ण वचिार की कमी माना। न्यायालय ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अधिसूचना जारी करने में जल्दबाज़ी पर भी प्रश्न उठाया, जब रैखिक परियोजनाएँ संचालित नहीं थीं।

नोट:

- दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले, 2012 में, न्यायालय ने कहा कि खान मंत्रालय द्वारा जारी 2010 के मॉडल नयिम पर्यावरणीय, पारस्थितिक और जैवविविधता के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण हैं और इसलिये राज्य सरकारों को खान और खनजि (विकास एवं वनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 15 के तहत सफ़िराशियों के अनुसार उचित नयिम बनाने होंगे।

पूर्व उदाहरण क्या है?

- जनवरी 2018 में NGT द्वारा 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के नरिमिता क्षेत्रों वाले भवन और नरिमाण गतिविधियों के लिये पूर्व EC की आवश्यकता से मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 की अधिसूचना द्वारा दी गई छूट को रद्द कर दिया गया।
 - छूट को उचित ठहराने के लिये पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार का सुझाव जैसा कुछ भी नहीं था।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतगत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, NGT ने दिसंबर 2012 और जून 2013 में मंत्रालय द्वारा जारी दो कार्यालय ज्ञापनों को अमान्य कर दिया। इन ज्ञापनों का उद्देश्य वर्ष 2006 की अधिसूचना के अंतगत परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी देना था।
- 6 मार्च, 2024 को केरल उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 की अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के नरिमिता क्षेत्रों वाले शैक्षणिक संस्थानों तथा औद्योगिक इकाइयों को ईसी (EC) प्राप्त करने से छूट दी गई थी।

दृष्टभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत रैखिक परियोजनाओं के लिये अनयिमिता मृदा उत्खनन की छूट को परिवर्तित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हालिया नरिणय पर चर्चा कीजिये। छूट की विशेषताओं और न्यायालय द्वारा उठाई गई चिंताओं का विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:

1. पर्यावरण संरक्षण अधनियम, 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि
2. वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासलि करने की प्रक्रिया और रीतिका वविरण दे ।
3. वह वभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या वसिर्जन के मानक नरिधारति करे ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. गॉडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतशित का योगदान देता है । चर्चा कीजयि । (2021)

प्रश्न. "प्रतकिल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन के वकिस के लयि अभी भी अपरहिर्य है" । चर्चा कीजयि । (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-overturms-unregulated-soil-extraction-for-linear-projects>

